

बिहार सरकार
कृषि विभाग।

पत्र संख्या- 11/कृ.नि.भू.सं.(यो.)24/2014
प्रेषक,

3883 / भू सं०, पटना, दिनांक 12/11/2018

रवीन्द्र नाथ राय,
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना।(+)
से परामर्शित।

विषय : केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना- जलछाजन विकास (IWMP) 2011-12 (Batch-III) के लिए स्वीकृत राशि 23016.00 लाख रु० तथा 2012-13 (Batch-IV) से 2014-15 (Batch-VI) के लिए स्वीकृत राशि 61138.00 लाख रु० कुल 84154.00 लाख रु० (90:10) की लागत से वर्ष 2012-13 से 2018-19 तक कार्यक्रम कार्यान्वयन की स्वीकृति के अधीन वर्ष 2018-19 में योजना कार्यान्वयन हेतु कुल 7246.67 लाख (बहत्तर करोड़ छियालीस लाख सड़सठ हजार) रु० {केन्द्रांश- 4348.00 लाख (तैतालीस करोड़ अड़तालीस लाख) रु० एवं राज्यांश- 2898.67 लाख (अठाईस करोड़ अठानवे लाख सड़सठ हजार) रु० (60:40)} निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना- जलछाजन विकास (IWMP) {2011-12 (Batch-III) के लिए स्वीकृत राशि 230,16.00 लाख रु० तथा 2012-13 (Batch-IV) से 2014-15 (Batch-VI)} के लिए स्वीकृत राशि 611,38.00 लाख रु० कुल 841,54.00 लाख रु० {केन्द्रांश 757,39.00 लाख रु० तथा राज्यांश 84,15.00 लाख रु० (90:10)} की लागत से वर्ष 2012-13 से 2018-19 तक कार्यक्रम कार्यान्वयन की स्वीकृति के अधीन वर्ष 2018-19 में योजना कार्यान्वयन हेतु कुल 7246.67 लाख (बहत्तर करोड़ छियालीस लाख सड़सठ हजार) रु० {केन्द्रांश- 4348.00 लाख (तैतालीस करोड़ अड़तालीस लाख) रु० एवं राज्यांश- 2898.67 लाख (अठाईस करोड़ अठानवे लाख सड़सठ हजार) (60:40)} निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह स्वीकृत्यादेश केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना- जलछाजन विकास (IWMP) हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार से केन्द्रांश मद में राशि विमुक्ति की प्रत्याशा में निर्गत किया जाता है। भारत सरकार से केन्द्रांश मद में राशि विमुक्ति के उपरान्त ही स्वीकृत राशि {केन्द्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश(60:40)} का आवंटन आदेश निर्गत किया जा सकेगा। भूमि संसाधन विभाग भारत सरकार के पत्रांक Z-11011/02/2017-PPC दिनांक 15.05.2018 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में बिहार राज्य के लिए 4348.00 लाख रु० केन्द्रांश का उदव्यय निर्धारित किया गया है।

3. मंत्रिपरिषद द्वारा अब तक कुल 841,54.00 लाख रु० की केन्द्र प्रायोजित समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम सम्प्रति प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना- जलछाजन विकास योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है, की बैचवार स्थिति निम्न प्रकार से है :-

क्र. सं.	परियोजना		परियोजना की संख्या	परियोजना वर्ष	स्वीकृति वर्ष	राज्य सरकार/मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत योजना की अवधि
	वर्ष	बैच				
1.	2011-12	Batch- III	40	2012-13		2012-13 से 2016-17
2.	2012-13	Batch- IV	24	2014-15		2012-13 से 2017-18
3.	2013-14	Batch- V	26	2014-15		2014-15 से 2018-19
4.	2014-15	Batch- VI	33	2014-15		2014-15 से 2018-19
योग :-			123

4. उपर्युक्त उल्लेखित सभी योजना भूमि संसाधन विभाग भारत सरकार की स्टेयरिंग कमिटी द्वारा मुल्यांकित एवं पारित है। यह एक योजना चालू योजना है एवं समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम हेतु निर्गत मार्ग दर्शिका के अनुसार योजना की अवधि अधिकतम 7 वर्ष है। चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कुल 29426.00 लाख रु० की वार्षिक कार्य योजना SLSC से अनुमोदित है।

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

5. कुल स्वीकृत राशि का बजट शीर्षवार विवरण निम्न प्रकार से है :-

राशि लाख रु में।

क्र सं	बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
केन्द्रांश			
1	मुख्य शीर्ष- 2402 मृदा तथा जल संरक्षण, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष- 102 मृदा संरक्षण, मॉग संख्या-1, उपशीर्ष- 0213 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) विपत्र कोड- 01.2402001020213 विषय शीर्ष 0213.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन, पी0एफ0एम0एस0 कोड- 9183	3984.000	3608.840
2	मुख्य शीर्ष- 2402 मृदा तथा जल संरक्षण, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मॉग संख्या-1, उपशीर्ष- 0202 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) विपत्र कोड- 01.2402007890202 विषय शीर्ष 0202.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन पी0एफ0एम0एस0 कोड- 9183	768.000	695.680
3	मुख्य शीर्ष- 2402 मृदा तथा जल संरक्षण, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मॉग संख्या-1, उपशीर्ष- 0209 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) विपत्र कोड- 01.2402007960209 विषय शीर्ष 0209.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन पी0एफ0एम0एस0 कोड- 9183	48.000	43.480
कुल		4800.000	4348.000
राज्यांश			
4	मुख्य शीर्ष- 2402 मृदा तथा जल संरक्षण, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष- 102 मृदा संरक्षण, मॉग संख्या-1, उपशीर्ष- 0313 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) विपत्र कोड- 01.2402001020313 विषय शीर्ष 0313.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन पी0एफ0एम0एस0 कोड- 9183	2656.000	2405.890
5	मुख्य शीर्ष- 2402 मृदा तथा जल संरक्षण, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मॉग संख्या-1, उपशीर्ष- 0302 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) विपत्र कोड- 01.2402007890302 विषय शीर्ष 0302.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन पी0एफ0एम0एस0 कोड- 9183	512.000	463.790
6	मुख्य शीर्ष- 2402 मृदा तथा जल संरक्षण, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मॉग संख्या-1, उपशीर्ष- 0309 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) विपत्र कोड- 01.2402007960309 विषय शीर्ष 0309.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन पी0एफ0एम0एस0 कोड- 9183	32.000	28.990
कुल		3200.000	2898.670
सकल योग		8000.000	7246.670

6. भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना से स्वीकृत राशि की निकासी हेतु विपत्र बी0टी0सी0 फार्म 46 में तैयार किया जायेगा तथा कोषागार पदाधिकारी द्वारा विपत्र पारित कर राशि बिहार वाटरशेड डवलपमेंट सोसाइटी, पटना के पी0एल0 खाता संख्या PLA-265 में अंतरित की जायेगी। यह निकासी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BWDS पटना से प्राप्त पूर्व प्राप्ति रसीद के आलोक में की जायेगी।

निकासी की गई राशि के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर महालेखाकार/कृषि विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। महालेखाकार को अंकेक्षण का अधिकार होगा, साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 341 के अनुरूप BWDS द्वारा अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उक्त योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत राशि का भुगतान PFMS के माध्यम से किया जायेगा।

इस योजना के राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी, बिहार वाटरशेड डवलपमेंट सोसाइटी (BWDS) तथा जिला स्तर पर परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण होंगे। जिला स्तर पर उप निदेशक (कृ0अ0) भूमि संरक्षण योजना के पर्यावेक्षण के लिए पूर्ण रुप से जिम्मेवार होंगे। BWDS द्वारा सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण -सह- योजना कार्यान्वयन एजेंसी को स्वीकृत राशि उपलब्ध कराते हुए इसकी सूचना सम्बंधित जिला स्तर के उप निदेशक (कृ0अ0) भूमि संरक्षण को दी जायेगी।

7. स्वीकृत राशि का व्यय राज्य के लिए स्वीकृत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- जलछाजन विकास के बैच III एवं IV की परियोजनाओं के जलछाजन विकास कार्य चरण तथा प्रशासनिक व्यय मद में किया जायेगा।


भूमि संसाधन विभाग भारत सरकार के पत्रांक Z-11011/32/2014-PPC दिनांक 01.08.2018 के साथ संलग्न विवरणी में उल्लेखित परियोजनाओं में इस राशि का व्यय नहीं किया जायेगा। इस राशि से वाहन/फोटोकॉपियर/वीडियो रिकॉर्डर/प्रोजेक्टर का क्रय, कोई स्थाई भवन निर्माण एवं अन्य पूजीगत वस्तुओं के निर्माण की अनुमति नहीं होगी। पारदर्शिता एवं जागरूकता हेतु सभी योजना स्थल पर परियोजना/योजना का नाम, योजना संख्या, प्राक्कलित राशि, व्यय की गई राशि, एवं अक्षांश-देशान्तर सहित अन्य महत्वपूर्ण सूचना अंकित सूचना पट का होना अनिवार्य है। योजना कार्यान्वयन के सम्बंध में प्रशासी विभाग द्वारा यथा आवश्यक निर्णय लिया जा सकता है।

8. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.03.2007 तथा वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96वि0(2)दिनांक 03.01.2008 में निहित प्रावधान के आलोक में 230,11.00 लाख रु0 की योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति संचिका संख्या पी0पी0एम0-55/2012 के पृ0 सं0 19/टि0 पर दिनांक 17.08.2012 को प्राप्त है एवं 611,38.00 लाख रु0 की योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति संचिका संख्या 11/कृ.नि.भू.सं.(यो) 24/2014 के पृ0 26/टि0 पर दिनांक 28.03.2015 को प्राप्त है। राज्यादेश के प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या 11/कृ0नि0भू0सं0(यो)24/2014 के पृ0 130/टि0 पर दिनांक 14.09.2018 को प्राप्त है।

9. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 7355वि0(2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 11/कृ.नि.भू.सं.(यो.) 24/2014 के पृ0 141/टि0 पर दिनांक 01.11.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


5-11-18

(रवीन्द्र नाथ राय)

विशेष सचिव, कृषि विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 3883


/भू0सं0, पटना, दिनांक

12/11/2018

प्रतिलिपि :- 1. प्रभारी पदाधिकारी अंकेक्षण, महालेखाकार (ले0ह0) कार्यालय, वीरचन्द्र पटेल पथ पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


5-11-18

विशेष सचिव, कृषि विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 3883


/भू0सं0, पटना, दिनांक

12/11/2018

प्रतिलिपि :- 1. माननीय मंत्री, कृषि बिहार के आप्त सचिव/ श्री अमित कुमार, निदेशक (ज0वि0) भूमि संसाधन विकास, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार/ विकास आयुक्त, बिहार -सह- अध्यक्ष, BWDS के प्रधान आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव एवं प्रधान सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

2. सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/ कृषि निदेशक, बिहार/ निदेशक उद्यान, बिहार/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BWDS/ निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार/ निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/सम्बंधित प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण, दक्षिणी बिहार परिक्रम, पटना/सभी जिला स्तरीय उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) भूमि संरक्षण/सभी योजना कार्यान्वयन पदाधिकारी -सह- सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण/उप निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण, मुख्यालय -सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/प्रभारी बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग एवं भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उप कृषि निदेशक (सूचना) बिहार, पटना एवं आई0टी0मैनेजर कृषि विभाग को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।




5-11-18

विशेष सचिव, कृषि विभाग,
बिहार, पटना।